स्त्रियों के समूह

(Women's Groups)

भारत में स्त्रियों के मुख्य संगठन हैं अखिल भारतीय स्त्री सभा (ए. आई. डब्ल्यू. सी.), राष्ट्रीय भारतीय स्त्री संगठन (एन. एफ. आई. डब्ल्यू.), अखिल भारतीय लोकतांत्रिक स्त्री संघ (ए. आई. डी. डब्ल्यू. ए.), उनकी प्रमुख कोशिश एक लिंग भेद रहित न्याय पूर्ण समाज बनाने में है। वे जनसाधारण, की राय स्त्रियों के प्रति अत्याचार के व्यक्तिगत घटनाओं की भरपाई करने के लिए सुधार की आवश्यकता पर प्रचारित भी करते हैं।

स्त्री और पुरुषों के बीच में असमानता हमारे समाज की अत्यधिक महत्वपूर्ण असमानताओं में से एक है। भारत में स्त्री आंदोलन की प्रकृति और गुंजाइश बहस का विषय रहा है। हालांकि भारतीय स्त्रियों का आंदोलन खंडित और अकेन्द्रित रहा है, यह भारत में लोकतंत्र, मानवाधिकार और सामाजिक तरक्की की मुख्य शक्तियों में से एक के रूप में निकला और अपने मूल विचार का विस्तार किया और अपनी कार्यसूची को विस्तृत किया। पिछले कुछ दशकों में स्त्रियों और शिक्षित मध्यम वर्गीय समाज के बीच में एक जाग्रति की भावना पैदा हुई। इन स्त्रियों ने अपने आपको आन्दोलनों में व्यवस्थित और संगठित किया। तथा समाज में जिस भेदभाव का उन्होंने सामना किया उसका विरोध किया। स्त्रियों के आन्दोलन का अनुभव, स्त्रियों के सयुक्त संघर्ष का प्रकटीकरण है जो न्याय के लिए और भ्रष्ट और निर्मम ताकत अधिक्रम के खिलाफ है जो समाज के पुरुषों के लिए एक निश्चित पक्षपात रखते हैं जो स्त्रियों को अधीनस्थ करने और शोषण करने की प्रक्रिया को कायम रखे हुए हैं।

भारत में स्त्रियों के आन्दोलन को विभिन्न चरणों या धाराओं में वर्गीकृत किया गया है। पहला चरण राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्त्रियों की एक बड़ी संख्या में संगठित होने का प्रतिनिधित्व करता है। बहुत से स्त्री संगठन थे जो स्त्रियों के कष्टों का प्रतिनिधित्व करते हैं जैसे, भारत में स्त्रियों की राष्ट्रीय परिषद में (एन. सी. डब्ल्यू. आई.) 1923 में बना। अखिल भारतीय स्त्री सभा 1927 में बना आदि। इस चरण के दौरान स्त्रियों ने 1921 के असहयोग आंदोलन और 1930 के नागरिक अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। संघर्ष के नए तकनीक में मशहूर आंदोलन, धरना देना, विदेशी वस्तुओं और शराब की दुकानों का बहिष्कार करना, सरकारी गतिविधियों में असहयोग जिसने स्त्रियों को बड़ी संख्या में संगठित किया।

दूसरा चरण 1960 के उत्तरार्द्ध में आरंभ हुआ जिसने महिलाओं को राजनैतिक गतिविधियों की हलचल को प्रदर्शित किया। वर्ष 1960 के उत्तरार्द्ध और 1970 के प्रारम्भ के दौरान कई स्त्री संगठन जैसे अखिल भारतीय स्त्री सभा भारतीय स्त्रियों का राष्ट्रीय संगठन, युवा स्त्रियों के ईसाई संघ, जो स्वतंत्रता संग्राम के बाद अपेक्षाकृत निष्क्रिय हो गए थे, ने क्रियाशीलता का एक नया चरण शुरू किया। उनका ध्यान स्त्रियों को संगठित करना और समाज में उत्पीड़न के स्त्रोत पर आक्रमण करना था। संगठित स्त्रियों का मूल्यवृद्धि के खिलाफ फ्रंट में वर्ष 1973 में महाराष्ट्र में एक स्त्रियों के बड़े आंदोलन में बदल गया जो आसमान छूते कीमतों के मसले पर ध्यान देते हुए उपभोक्ता के सुरक्षा के लिए था। शहरी इलाकों में मध्यमवर्गीय स्त्रियों के संगठन और कामकाजी महिलाओं के संगठन ने आय स्तर साक्षरता दर, टेक्नोलॉजी का अधिकार, स्वतंत्र आजीविका और समाज में स्तर आदि से संबंधित आंदोलन की शुरूआत की। अहमदाबाद में स्वनियोजित स्त्री संघ की इस काल के दौरान अनौपचारिक क्षेत्र में स्त्रियों के लिए स्थापित हुआ, जो अर्थव्यवस्था का एक तिरस्कृत और अमान्य हिस्सा था।

तीसरे चरण के दौरान जो 1970 के दशक अन्त में शुरू हुआ, स्वायन्त स्त्री संगठनों में वृद्धि हुई जिसका सबसे अधिक जोर स्त्रियों के हित के मुददे पर था और स्त्रियों ने आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया इन्होंने महिला मामलों की विस्तृत श्रृंखला जैसे स्त्री-पुरुष सम्बन्ध, पारिवारिक हिंसा, दहेज, बलात्कार, कार्य और साधनों को असमान बंटवारा, बेरोजगारी, बंधन और स्त्रियों की निर्भरता पर लक्ष्य किया। दूसरे और तीसरे चरणों की तुलना करते हुए **निवेदिता मेनन** कहती है," इस दूसरे चरण ने स्त्रियों के समूहों सरकार के और साधारण तौर पर शक्ति रचना के खिलाफ मशहूर विद्रोह में भाग लिया, परन्तु तीसरा चरण में जो कि 1970 के दशक के अन्त में निकला हुआ कहा जाता है, विशिष्ट नारीवाद की ओर लक्ष्य था। नगरों और शहरों में स्वायत्त स्त्री संगठनों में वृद्धि हुई, उनका किसी भी दल के साथ संबद्धता या औपचारिक अधिक्रमिक रचना के बिना, हालांकि व्यक्ति विशेष सदस्य अक्सर दल से संबंधित थे।" 1970 दशक के अंत में दो बड़े मसलों को इसने उठाया वे थे समाज के विभिन्न स्तरों पर स्त्रियों के खिलाफ बढती हुई हिंसा और राज्य के आर्थिक वृद्धि के लिए प्रायोजित नीतियों द्वारा सक्रिय योगदान आर्थिक मामूलीकरण और अधिकांश स्त्रियों के सामाजिक अवमूल्यन कारण के रूप में और साथ ही साथ देश की बढ़ती हुई गरीबी और भूख के प्रभाव के रूप में।

1980 के दशक में स्त्रियों के संगठनों के कार्यसूची ध्यान संघर्ष से विकास को गया। स्त्रियों के संगठनों ने अभिव्यक्ति कुशल मसले जैसे आर्थिक अनिर्भरता और व्यक्ति विशेष स्त्रियों की सामाजिक बराबरी, आंदोलन के लिए एक स्वतंत्र स्थिति, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाते हुए राज्य नीतियां और विकास कार्य नीतियां जो लिंग समानता लाने में असफल रहे और सांप्रदायिकता की प्रतिक्रिया के लिए जगह भी बनाती थी और सभी मूल तत्ववादी/पुनःप्रचलित नीतियों के स्त्री विरोधी संलिप्तता को सामने लाना था।

1990 के दशक में, स्त्रियों के आन्दोलन के अत्यन्त महत्वपूर्ण मसले काम, पर्यावरण, विज्ञान, नागरिक अधिकार, स्वास्थ्य, लिंग विशिष्ट मसले, सामाजिक बदलाव की मांग और विकास आदि से जुड़े हुए थे। उन्होंने विशेषतः बल दिया कि गरीब और परिश्रमी स्त्रियों के लिए प्रतिदिन जीवित रहने का मसला उतना ही महत्वपूर्ण और असली है जितना कि पारिवारिक हिंसा के मसले। स्त्रियों का अधिकृतीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण मसला था। **सुशीला कौशिक** कहती हैं कि स्त्रियों के आन्दोलन की कार्यसूची में महत्वपूर्ण मुद्दा स्त्रियों की सक्रिय और उचित भागीदारी सरकार के सभी शाखाओं निर्णय

करने का रहा है जैसे कार्यकारी कानूनी, न्यायपालिका और प्रबंधन। अप्रैल 1993 को संविधान संशोधित किया गया, आंदोलन अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया जब स्थानीय सरकार में (पंचायत के तीन स्तर और नगर पालिकाओं की जी शाखाएं) कम से कम एक तिहाई सीट सदस्यों के स्थान के लिए और विभिन्न पदों के अध्यक्ष पद के लिए संशोधन किया गया।" इसने स्त्रियों को इस आशा से उत्साहित किया कि संसद और राज्य विधान मंडलों के स्तर पर ऐसे ही आरक्षय समाज के व्यवस्था में और साथ ही साथ उनके जीवन में बदलाव लाएगा। स्त्री आन्दोलन मुख्य रूप से लोक सभा और राज्य विधान मंडलों में एक तिहाई सीट स्त्रियों के लिए आरक्षित करने पर केन्द्रित था। आन्दोलन के इस नए रूप पर **निवेदिता मेनन** कहती हैं," एक आम प्लेटफार्म राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर आया जिसमें राष्ट्रीय स्तर के राजनैतिक दलों में स्त्रियों का धड़ा (विंग) बना—अखिल भारतीय लोकतांत्रिक स्त्री संगठन, अखिल भारतीय स्त्री सभा, भारतीय राष्ट्रीय स्त्री संगठन महिला दक्षता समिति-और तीन राष्ट्रीय स्तर की स्त्री संगठन, अर्थात वाई. डब्ल्यू. सी. ए., संयुक्त स्त्री योजना और स्त्री विकास अध्ययन केन्द्र विशिष्ट मसलों पर एक साथ मिल जाते हैं जैसे संसद में हाल ही में स्त्रियों के आरक्षण पर विधेयक।

भारत के प्रमुख स्त्री संगठन
(Major Women's Conference of India)

अनौपचारिक क्षेत्र में नए सक्रिय स्त्री संगठन, जो पहचान के मूलभूत प्रश्न उठाते हैं, स्त्री शक्ति का प्रतीक और जड़ों को संगठित करते हैं। ये निम्नलिखित हैः

(i) अखिल भारतीय स्त्री सभा (All India Women's Conference)

अखिल भारतीय स्त्री सभा वर्ष 1926 में मार्गरेट कजिन्स, एक आयरिश स्त्री, जिसने भारत को अपना घर बनाया था, ने स्थापित किया। उसकी प्रमुख चिंता स्त्रियों की शिक्षा थी परन्तु धीरे-धीरे अखिल भारतीय स्त्री सभा ने विभिन्न सामाजिक और आर्थिक मुद्दे उठाये जो स्त्रियों से संबंधित था और भारत की स्त्रियों के लिए विशेष था जैसे परदा, बाल-विवाह, तलाक, स्त्रियों का सम्पत्ति अधिकार आदि । ए. आई. डब्ल्यू. सी. धीरे-धीरे सभी संगठनों का नेतृत्व करने लगा जो स्त्रियों के अधिकार और बराबरी के दर्जे के लिए लड़ रहे थे।

भारत की कई प्रमुख स्त्रियां जैसे विजय लक्ष्मी पंडित, कमला देवी चट्टोपाध्याय, राजकुमारी अमृता कौर, मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी, भोपाल की बेगम साहिबा, रानी लक्ष्मीबाई रजवाड़े और अन्य ने ए. आई. डब्ल्यू. सी. को मार्गदर्शन और वृद्धि के लिए योगदान दिया। आज संगठन में भारत के 500 शाखाओं में 1,00,000 से अधिक सदस्य हैं।

ए. आई. डब्ल्यू. सी. द्वारा आरंभ किये गये वैधानिक सुधार

ए. आई. डब्ल्यू. सी. के द्वारा आरम्भ किए गए वैधानिक सुधार स्त्रियों और बच्चों की भलाई के लिए कई वैधानिक सुधार लाने में सफल रहा है। आजादी के बाद के कुछ वैधानिक सुधार निम्नलिखित हैंः

- परिवार में एक विवाह प्रथा
- अन्तर्समुदाय विवाह

- स्त्रियों का अधिकार
- तलाक और पुनर्विवाह
- अलग हुए पति या बेटे से गुजारा भत्ता
- एक बच्चा गोद लेना
- जायदाद खरीदना और विरासत में पाना और इसे पूर्णरूप से बनाए रखना।
- मातृत्व के फायदे का अधिनियम
- मेहनताने का अधिनियम (1958,1976)
- दहेज विरोध अधिनियम (1961)
- स्त्रियों में अनैतिक व्यापार का दमन अधिनियम

(ii) अखिल भारतीय लोकतांत्रिक स्त्री संगठन (All India Democratic Women's Association)

अखिल भारतीय लोकतांत्रिक स्त्री संगठन वर्ष 1981 में स्थापित हुआ था। यह एक संगठन है जिसका मूलभूत आधार नौकरीपेशा स्त्रियां हैं। इसकी गतिविधि के प्रमुख मामले महिलाओं का आर्थिक और कानूनी उत्पीड़न के मामलों के चारों ओर घूमता है।

(iii) स्त्री विकास अध्ययन केन्द्र (Centre to Women's Development Studies)

सी. डब्ल्यू. डी. एस. एक अनुसंधान केन्द्र है जिसमें पेशेवर व्यक्तियों का समूह, जो जीवन के सभी क्षेत्रों में स्त्रियों की बराबरी और विकास के लिए काम कर रहे हैं। केन्द्र में एक विशिष्ट पुस्तकालय हैं, जहां पर स्त्रियों और भारत में विकास पर एक संग्रह है जो छात्रों, अनुसंधान छात्र, लिंग परामर्शदाता, नीति बनाने वाले, पत्रकार आदि के लिए खुला है।

(iv) भारत का वाई. डब्ल्यू. सी. ए. (The YWCA of India)

संसार का वाई. डब्ल्यू. सी. ए. के वृहत संगठन जिसके भारत में 65 स्थानीय संघ हैं। यह संगठन विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा स्त्री सशक्तिकरण के लिए काम करता है, जिसमें सबसे प्रमुख हैं स्त्रियों को नेतृत्व का प्रशिक्षण, स्त्रियों के सभी मुद्दों पर समर्थन कार्य और सामुदायिक विकास कार्य। वाई. डब्ल्यू. सी. ए. देश भर में स्त्रियों के लिए 40 घर चलाता है जो कामकाजी महिलाओं के लिए, घर देता है और साथ ही साथ स्त्रियों के लिए आपातकालीन आश्रय देता है। वाई. डब्ल्यू. सी. ए. सात स्त्री संगठनों के समूह का भी एक हिस्सा है दिल्ली में जिसका आधार स्थल है और सार्वजनिक मामलों में इकट्ठे काम करता है।

(v) स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण और पोषाहार जानकारी का केन्द्र (Centre for Health, Education, Training and Nutrition Awareness)

चेतना का विशेष कार्य गरीब स्त्रियों और बच्चों के अधिकृतीकरण का योगदान करना है जिससे वे अपने आप अपना, अपने परिवारों का और अपने समुदाय के स्वास्थ्य पर नियंत्रण प्राप्त कर सकें। इसका प्रशिक्षण, एन. जी. ओ. के कार्यकर्ता, प्रशिक्षक, योजना प्रबंधक और पर्यवेक्षक को लक्ष्य करता हैं। सूचना के अच्छे प्रवाह देने के लिए, एक वृत्तचित्र और सूचना केंद्र स्थापित है। संग्रह में एक विशेष खंड है जिसमें प्रशिक्षण निर्देश पुस्तिका, सूचना किट और स्वतंत्र इकाई है।

(vi) स्वनियोजित स्त्री संघ (Self-Employed Women Association)

1971 में इला भट्ट द्वारा जब सेवा स्थापित किया गया, उसने एक साधन बनाया जिसके द्वारा स्वनियोजित, गरीब स्त्रियों को न्याय का प्रवेश मार्ग मिला और वे पुलिस और अन्य हिंसा और शोषण से लड़ सकें। प्राचीन ब्रिटिश कानून के कारण, जो अभी तक लागू है ये स्त्रियां सार्वजनिक क्षेत्रों में बैठ कर अपना सामान बेचने का गुनाह कर रही थीं! इससे अधिकारी लोगों को अंतहीन उत्पीड़न मिला। स्त्रियां अक्सर अपने सामान खो देती थी, शारीरिक हिंसा का शिकार बनती थीं और उन्हें परिसर से निष्कासित कर दिया जाता था। सेवा को स्थापित किया गया और स्त्रियां कानूनी सहारा खोजने लगे। एक महत्वपूर्ण फैसले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह स्त्री व्यापारियों का अधिकार था और एक शहर का कर्त्तव्य कि अनौपचारिक क्षेत्र में उन कारीगरों को अलग स्थान दें जिससे वे अपना व्यापार कर सकें।

सेवा केवल एक मजदूर यूनियन या बैंक नहीं हैं। हालांकि ये इसकी ताकत हैं। इसका उद्देश्य सभी साधनों को प्रभावशाली ढंग से प्रयोग कर स्त्रियों की अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर देती है। इससे यह काफी तेजी से बढ़ा है। सेवा ने रणनीतिक तरीके से पारम्परिक औजार संघर्ष और सौदा करने का प्रयोग किया है जिसने कई मजदूर संगठन के आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया है, साथ ही साथ अन्य तकनीकों का भी। उन क्षेत्रों में जहां स्वनियोजन या किसी भी रोजगार की संभावना कम हो, वहां तकनीकों का पारम्परिक संयोजन काम नहीं करता। ऐसे मामलों में, सेवा ने विभिन्न ग्रामीण स्त्री संगठनों के साथ जनसाधारण स्तर से कार्य किया है, अक्सर इन संगठनों को बनाने में मदद की है। सेवा स्त्रियों को उनके अपने संगठनों को चलाने देता है, सहकारी संस्था को बनाता है और उनको बाजार में इकट्ठे सौदा करने देता है। चूंकिं गुजरात एक दुग्ध उत्पादक राज्य है और जहां असंगठित कार्य और लघु सहकारिता के अवसर बहुत कम बचे हैं। सेवा की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक दुग्ध उत्पादक सहकारी क्षेत्र है।

अर्थव्यवस्था के उपक्षेत्र जिसे सेवा सदस्यों ने पहचाना और विकसित किया वे हैं दुग्ध उत्पादन गोंद एकत्रित करना, कढाई, नमक उत्पादन और पौधों की नर्सरी। साभूहिक संगठन के सिद्धान्त से स्त्रियों ने संगठित होकर आर्थिक रंगस्थली में मोलभाव करने में एक सक्षम अवस्था में होने का दावा करने लगीं। आज सेवा के 362 निर्माता संगठन, 72 सहकारी समिति और 2,20,000 से ऊपर सदस्य हैं।

स्त्रियों के आन्दोलन में अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे.
(Key Issues in Women's Movement)

स्त्रियों के आंदोलन में प्रमुख मुद्दे हैं :

(i) *सामाजिक आर्थिक मसले* : जो विकास, जनसंख्या विषयक पतन लिंग, अनुपात बाल विवाह, निचली शिक्षित दर, स्त्रियों के प्रति हिंसा, दहेज और दहेज संबंधी मौत, कार्यक्षेत्रों में और जन साधारण में, यौन उत्पीड़न, महिलाओं से सार्वजनिक दुराचार, कामुकता पूर्ण छेड़छाड़ बलात्कार, हिरासत में हिंसा, अवैध व्यापार करना, घरों में स्त्रियों का अदृश्य परिश्रम आदि से संबंधित हैं।

(ii) *रोजगार सम्बन्धी मामले* : जैसे अधिकांश स्त्री कार्यशक्ति अव्यवस्थित क्षेत्रों और उद्योगों में भी केन्द्रित है। अधिकांश स्त्रियों को अप्रशिक्षित, अल्प-प्रशिक्षित नौकरियां निम्न-स्तर के दफ्तरी कार्य या सभा मोरचा में साधारणतया काम मिल जाता है।

(iii) *प्रतिनिधि संस्थाओं में स्त्रियों के लिए आरक्षण* : स्त्रियों के आरक्षण का विधेयक पक्के तौर पर राष्ट्रीय राजनैतिक कार्यसूची में है। परन्तु, स्त्रियों का आरक्षण विधेयक (डब्ल्यू. आर. बी.) जिसमें स्त्रियों के लिए लोक सभा और राज्य विधान मंडल में 33% आरक्षण 1966 से सात लोक सभाओं में एक ऐसी योजना थी जिसकी सफलता की सम्भावना नहीं है। आनुक्रमिक सरकारों ने इसे हर बार सदन में रखा पर हर बार इसे स्थगित कर दिया गया।

स्त्री संगठनों ने एक ऐसे समाज के लिए काम करना शुरू कर दिया जो सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा, शांत और गंभीर आचरण और समान अधिकार और सभी के लिए अवसर जैसे सिद्धांतों पर आधारित था।

भारत का संविधान सभी स्त्रियों के लिए कानूनी समानता देता है और भारत के संसद ने कानून लागू किए हैं जो विवाह, तलाक, दत्तक ग्रहण, गुजारा भत्ता, संरक्षकपन, उत्तराधिकार आदि सम्बन्धित अनुचित रिवाजों को हटाता है। बराबरी का एक औपचारिक ढांचा देने के साथ-साथ सरकार ने स्त्रियों के राजनैतिक अधिकृतीकरण के लिए कई कोशिशें की हैं। 73 वीं और 74 वीं संवैधानिक संशोधन ने बताया स्थानीय निकायों की सीटों में एक तिहाई सीटें स्त्रियों के लिए आरक्षित की हैं।

सरकार ने 1992 में स्त्रियों के लिए एक सांविधिक राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया है जिसकी जिम्मेदारी स्त्रियों की संवैधानिक सुरक्षा के कार्यों का निरीक्षण करना, कानून और नियमों का पुनर्विचार करना और स्त्रियों के अधिकारों के हनन के कुछ व्यक्तिगत मामलों में बीच बचाव करना भी है। प्रसव राहत अधिनियम, दहेज निषेधाज्ञा अधिनियम आदि ऐसे ही कुछ राहत के उपाय स्त्रियों के लिए हैं चाहे वे किसी भी धर्म, जाति और संप्रदाय की हों।

अंत में हम कह सकते हैं कि स्त्रियों के सशक्तिकरण के अधिकृतीकरण को न केवल स्त्रियां अपने मुद्दों को सामने लाने में कैसे अभिव्यक्ति कुशल होती हैं परन्तु इस तथ्य से भी कि वे कितने प्रभावशाली ढंग से शासन करने में योगदान देती हैं और संक्रियता से भाग लेने में उत्सुक होती हैं।

भारत के शासक वर्ग ने इन वर्षों में खेती व किसानी के कठिनाइयों के बारे में बात नहीं की है। इस से 1950 और 2000 के बीच एक ऐसी परिस्थिति आ गई है कि अन्न का उत्पादन तीन गुना बढ़ गया है, हालांकि किसानों के बीच गरीबी बढ़ती ही जा रही है। नौ पंचवर्षीय योजनाएं पूरी होने के बाद, शासक वर्ग की नीतियों ने ग्रामीण भारत में अमीर और गरीब के बीच में और भी असमानताएं ला दी हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने केवल जमींदारों और धनी किसानों पर ही ध्यान दिया और गरीब, मध्यम वर्गीय किसान और खेतीहर मजदूरों की परेशानियों पर ध्यान देने की परवाह नहीं की जो एक साथ मिलकर ग्रामीण जनसंख्या का 9 प्रतिशत बनाते हैं।

अच्छी आर्थिक दशाओं के लिए कृषि भूमि से संबंधित अर्थव्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप के विरुद्ध, ग्रामीण गरीबी की परेशानियों को हल करने, बाजारों को नियंत्रित करने आदि के लिए संघर्ष करने के लिए किसानों ने संगठन बनाए हैं। इन किसान संगठनों ने स्वतंत्रता संग्राम में ग्रामीण लोगों को इकट्ठा करके एक अहम् भूमिका निभाई हैं। इस कृषि व कृषि भूमि से संबंधित संकट की घड़ी में वे शासक वर्ग की नीति में पूर्ण बदलाव की मांग कर रहे हैं। उग्र भूमि सुधार भारतीय व बाजार को मजबूती देने के लिए ग्रामीण गरीबों की खरीद की ताकत में सुधार और कृषि क्षेत्र में निवेश में वृद्धि आदि उनकी मांगें थीं।

1947 के बाद के काल के दौरान आंशिक भूमि सुधार व्यवहार में लाने से खेतिहर मजदूरों गरीब किसानों का भला नहीं हुआ। इससे उनके जीवन में बेहतरी नहीं आई। ये सुधार 1960 से लागू हरित क्रान्ति जैसे नीतियों के साथ-साथ अधिक से अधिक क्षेत्रों में पूंजीवादी रिश्तों में तेजी और अध्यारोपण की ओर ले गया। इन विकासों ने कृषि संबंधी क्षेत्र में असमानता को बहुत गंभीर कर दिया। कई क्षेत्र में पूंजीवादी किसानों के प्रकटन के बाद, अधिकांशतः सामंतवादी जमींदार भी अमीर किसानों की श्रेणी में विभिन्न तरीकों से आए।

1950 और 1960 के दशकों में अत्यंत महत्वपूर्ण मामले भूमि सुधार के थे जिसका उद्देश्य जमींदारी को समाप्त करना अनाजों की अत्यावश्यक प्राप्ति और कृषि उत्पादन और आय पर कर लगाना था।

हरित क्रांति के परिणामस्वरूप, धनी किसान धनी होते गए और गरीब किसान और गरीब क्योंकि मजदूरों की मांग में कमी आई और परिणामस्वरूप, खेतिहर की आय में कमी आई।

1960 के दशक में किसान संगठन का एक मुख्य उदाहरण 1967 और 1969 के बीच नक्सलबाड़ी विद्रोह था, उनकी मुख्य चिंता मजदूरों और किसानों के बीच कृषि व भूमि से संबंधित आंदोलन की नीतियों का प्रचार करना और एक गोपनीय दल बनाना था। नक्सलबाड़ी विद्रोह के बाद जमींदारों के खिलाफ एक संघर्ष व्यवस्थित किया गया जिसमें देश भर में गरीब और मध्यम वर्गीय व अमीर किसानों ने भाग लिया। सरकारी विवरण के अनुसार, लगभग 5424 कृषि व कृषि भूमि से संबंधित आंदोलन 1967 और 1970 के बीच हुए थे।

1980 के दशक में किसानों ने उचित तनख्वाह 'अच्छी कृषि संबंधी सुविधाएं, खाद की मदद करना, मेहनताना, कीमतें और निवेश की कीमत, और कृषि संबंधी और औद्योगिक क्षेत्रों के बीच में शब्दों की स्पष्टीकरण आदि की मांग की। 1980 के अन्त में काफी बड़ी मात्रा में सामुदायिक हिंसा भड़कने से पहले किसान संगठनों ने अत्यधिक शक्तिशाली सार्वजनिक प्रदर्शन रास्ता रोको (सड़कों और रेलवे आदि) धरना और घेराव को आयोजित किया जिसमें किसानों ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया। भारत में किसान अखिल भारतीय स्तर से ज्यादा क्षेत्रीय या स्थानीय श्रेणी के संगठनों का आयोजन करते रहे हैं। कुछ प्रमुख अखिल भारतीय किसान संगठन हैं जैसे ए. आई. के. एस., अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, अखिल भारतीय किसान कामगार सम्मेलन, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान संघ, किसान जनता आदि।

इन संगठनों ने जनसाधारण के मामले जैसे कीमतों की बढ़ोत्तरी, राज्य करों में कमी कर्जों का भुगतान, तनख्वाहों में वृद्धि, कीमतों में समानता आदि को उठाने की कोशिश की। वे किसान रैली सभाएं, आंदोलन आदि संगठित करते हैं। यहां तक कि वे किसानों को प्रशिक्षित भी करना चाहते हैं।

इतने वर्षों में भारत की शासन सत्ता ने कृषि व किसानी के कठिनाइयों के बारे में कुछ भी नहीं कहा। इससे एक विशेष परिस्थिति बन गई है जहां अनाज का उत्पादन मामले 1950 से 2000 के बीच में तीन गुना से अधिक बढ़ा है जब कि किसानों के बीच में गरीबी बढ़ रही है। नौ पंचवर्षीय योजना के पूरे होने के बाद शासन सत्ता की नीतियों ने ग्रामीण भारत में अमीर और गरीब के बीच में असमानता बढ़ा दी है। ऐसा इसलिए था क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने केवल जमींदारों और अमीर किसानों पर ध्यान दिया और गरीब किसानों, मध्यम वर्गीय किसानों और खेतिहर मजदूरों के परेशानियों को देखने की परवाह नहीं की-जो ग्रामीण जनसंख्या के 9 प्रतिशत को एक साथ मिल कर बनाते हैं।

ए. आई. के. एस. दिसम्बर 1977 में स्थापित हुआ जिसने संपूर्ण भारत में इन आंदोलनों को संगठित करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। किसान आंदोलन के कई करिश्माई नेता जैसे **महेन्द्र सिंह टिकैत** और **शरद जोशी** जिन्होंने शक्तिशाली प्रभाव का प्रयोग किया। **शरद जोशी** द्वारा एक प्रसिद्ध नारा दिया, "इंडिया के खिलाफ भारत", अर्थात भारत हमारे देश का स्वदेशी नाम है जो सकारात्मक संकेतार्थ है जब कि इंडिया पाश्चात्य रंग में रंगा हुआ है जो उत्पीड़न का प्रतीक है। **महेन्द्र सिंह टिकैत** ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय-किसान संगठन का नेतृत्व किया और राज्य के कार्यविधि की आलोचना की और राजनैतिक दलों को इस के एक अंग के रूप में कल्पना की। **हर किशन सिंह सुरजीत** जो सी. पी. आई. सी. पी. आई. (एम) एम किसान सभा के नेता थे ने उन नीतियों और विकास रणनीतियों की आलोचना की जिसने कृषि व कृषि भूमि से सम्बंधित भलाई को क्षति पहुंचाती थी। किसान आंदोलन साधारण तथा सी. पी. आई, सी. पी. आई. (एम) और सी. पी. आई. (एम एल) के कृषि संबंधी मजदूर संगठनों द्वारा आयोजित किए गए थे। किसान आधारित राजनैतिक दलों जिसका नेतृत्व **चरण सिंह** और **देवी लाल** (जैसे बी. के. डी. बी. एल. डी. और लोक दल जो बाद में जनता दल में विलय हो गये थे) ने किया, उत्तरी भारत में सफल रहे। उनका केन्द्रीय सरकार जिसका नेतृत्व **वी.पी. सिंह** (1989-91) ने किया, पर एक निश्चित प्रभाव था और कई राज्य सरकार जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात आदि पर भी उनका, प्रभाव था। इसके परिणामस्वरूप, कृषि व भूमि से संबंधित विचारधारा और नीति को अत्यावश्यक राष्ट्रीय ध्यान और देखभाल मिली। **चरण सिंह** ने किसान आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए देश भर में यात्रा की और विभिन्न राज्यों में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन की शाखाएं स्थापित कीं। आजकल गैर-सरकारी संगठन और गैर-राजनैतिक संगठन और मेधा पटकर, सुन्दर लाल बहुगुणा, बाबा आम्टे आदि व्यक्ति उत्साह पूर्वक किसानों के हित में मुद्दा उठा रहे हैं।

हाल ही के वर्षों में हमने किसानों के बीच असंतोष बढ़ते देखा है। केन्द्रीय और राज्य सरकारों की गलत नीतियों के विरुद्ध विरोध जोर पकड़ रहा है। किसानों का गुस्सा लोक सभा चुनावों में परिलक्षित हुआ जहाँ उन्होंने भाजपा और उनके सहयोगी दलों को नकार दिया।

परन्तु शासक वर्ग, ने कृषि व कृषि भूमि से संबंधित संकट की घड़ी को हल करने की कोशिश में ऐसी नीतियों को अपनाया जिससे स्थिति और बदतर हो गई। भूमण्डलीकरण के हाल ही की अवधि ने प्रमाणित किया। भूमण्डलीकरण ने मामूली किसानों के जिन्दगी में कोई सुधार नहीं लाया जो भारतीय किसानों के मुख्य भाग को बनाते हैं। जबकि अधिकांश वर्ग के लोग भूमण्डलीकरण नीतियों के शिकार बने, कोई भी वर्ग इतना परेशान नहीं हुआ जितना कि वे लोग जो खेतों में काम करते हैं, और जो देश के लोगों को खाना खिलाने का काम करते हैं। पूरे देश में हजारों किसानों ने आत्म हत्या की। कर्जा चुकाने के लिए गुरदे बेचना, काम की तलाश में काफी अधिक मात्रा में गांवों से शहरों और निकटवर्ती गांवों में किसानों का प्रवास और भूख के कारण देश के हर कोने में पिछले दशक में असंख्य मौत उस परेशानी को प्रमाणित करता है जो भारतीय किसानों पर इन भूमण्डलीकरण नीतियों के कारण आई।

यदि हम इस घोर संकट की घड़ी जो कृषि संबंधी क्षेत्र सामना कर रहा है, के कुछ पहलुओं को देखें तो उदारीकरण नीतियों का प्रतिकूल प्रभाव देखा जा सकता है जो 1991 में कांग्रेसी सरकार के समय प्रबल हुआ और 1998 और 2004 के बीच भाजपा शासन के समय और अधिक जोश के साथ अमल किया गया और अब भी यू. पी. ए. सरकार और कांग्रेस के द्वारा पालन किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों से, यह अनुमान किया जाता है कि देश के किसान 1,16,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खो रहे हैं क्योंकि

कृषि उत्पादन की कीमतों में गिरावट आ रही है। भारत में अनाज उत्पादन के दर में कमी आ रही है और आज, जनसंख्या वृद्धि के दर से नीचे है। खेतिहर मजदूरों पर सबसे ज्यादा खराब प्रभाव पड़ा है क्योंकि उन्हें प्रतिवर्ष साठ दिनों से भी कम काम मिलता है।

कृषि व कृषि भूमि से संबंधित वर्ग एक्सिम (Axim) नीतियों के माध्यम से पैदा हुए तनाव और एम. एन. सी. और साम्राज्यवादी मूलधन के प्रवेश के कारण अभूतपूर्ण चिन्ता के दबाव में आ गया है। न केवल बहुत बड़ी संख्या में खेतिहर मजदूर और किसान कंगाल हो गए और घोर आर्थिक दबाव में आ गए परन्तु अमीर किसानों का एक वर्ग भी डब्ल्यू. टी. ओ. द्वारा निर्देशत आयात नीतियों के कारण, संकट का सामना कर रहा है। निवेशों की बढ़ती कीमत, उनके पैदावार की मेहनतनामें पुरानी की कीमत, कृ... का हटना, आर्थिक सहायता और सहायक मूल्यों को हटाना, किसान-विरोधी ऋृण नीतियां और उपके... में आने वाले कर्जे का बढ़ता हुआ बोझ हैं। इन सबके कारण और बैंकिग विभाग के निजीकरण और ज... विरोधी बैंकिग नीतियां, किसान वर्ग और अन्य उत्पीड़ित वर्ग को मजबूर किया जाता है कि वे इन कर्जे पर निर्भर रहें जो अक्सर उन्हें आत्म-हत्या करने पर मजबूर करती है। अधिक से अधिक कृषि भूमि को एम. एन. सी. और स्थानीय एकाधिकारियों को कृषि व्यापार और अन्य उद्देश्यों के लिए दिया जा रहा है। खेतिहर मजदूर जो सशक्त रूप से दलित, आदिवासी और बहुत अधिक पिछड़े वर्ग के लोग अपना वर्तमान रोजगार खो रहे हैं और आर्थिक शोषण के साथ, वे बढ़ते हुए सामाजिक उत्पीड़न का भी सामना कर रहे हैं। चूंकि ये नई आर्थिक नीतियों को अब भी मौजूद पूर्व पूंजीवादी संबंधों पर थोप... जाता है जिसमें कई क्षेत्रों में अर्द्धसामंत संबंध भी शामिल हैं। बहुत अधिक किसानों व खेतिहर मजदूरों की रहने के हालात और भी खराब हो गई है।

कृषि व्यापार के प्रवेश और अधिक से अधिक क्षेत्र में नकदी फसल उगाने के द्वारा खेती की भूमि बाजार की ताकतों के बहाव में आ गई। भोजन में आत्म-निर्भरता की नीति को अब त्याग दिया गया सभी राज्यों से संरक्षणात्मक नीतियों और आर्थिक सहायता को हटा देने से, डब्ल्यू. टी. ओ. द्वारा निर्देशित नीतियों के परिणामों से, निवेश की कीमतों में वृद्धि, अधिग्रहण के नए रूप आदि के कारण, काफी बड़ी संख्या में किसान बाजार की ताकतों की दया के मोहताज हो गए। परिणामस्वरूप मजदूर किसान शक्ति संगठन (एम. के. एम. एस.) जैसे संगठनों ने राज्य में पारदर्शिता की कमी और तनख्वाह कम देना के विरुद्ध अभियान छेड़ा। साथ ही साथ पूर्व पूंजीवादी संबंध सामंतवादी और अर्द्धसामंतवादी संबंध अब भी कई क्षेत्रों में चल रहे है।

दलित और कबायली लोगों का सामाजिक उत्पीड़न एक और प्रमुख मामला है जो भारत के किसान आंदोलन के सामने है। ये लोग, जो कुल आबादी के 21% हैं, वर्गीय और जातीय उत्पीड़न का सामना करते हैं। इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि करीब 86.5 प्रतिशत दलित भूमिहीन हैं और उनमें से ... प्रतिशत लोग जो गाँव में रहते हैं, खेतिहर मजदूर हैं।

जातिवाद को जमींदार और उच्च जाति के लोग वर्गीय एकता में क्षीण करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, जो सरकार की गंभीर समस्याएं उत्पन्न करने वाली नीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए जरूरी है। अपयशकारी जाति प्रथा, स्त्रियों का सामाजिक उत्पीड़न, दहेज प्रथा की बुराई, दुल्हन को जलाना और सभी प्रकार के खतरनाक सामाजिक और धार्मिक रीति-रिवाज ऐसी चुनौतियां हैं जो गरीब किसानों और खेतिहर मज़दूरों के आर्थिक उत्पीड़न के साथ-साथ आज किसान आंदोलन सामना कर रहा है।

किसानों का भूमण्डलीकरण के खिलाफ संघर्ष समूचे देश में दिखाई दिया। वे मामले जिस पर ये संघर्ष किए गए, वे थे-मेहनताने की कीमत, बिजली की निजीकरण, पी.डी.एस. प्रणाली का विनाश, बाढ़ और सूखा ग्रस्त लोगों के लिए मदद, ऋण सुविधाएं आदि। इनमें से कुछ आंदोलन आकस्मिक थे और कुछ व्यवस्थित। फिर भी, देखा जा सकता है कि इनमें से कई आंदोलनों में किसान कम से कम कुछ मांगों को विभिन्न राज्य सरकार द्वारा मनवा पाते थे। इससे किसानों को, अपने आंदोलन को बल देने के लिए आत्मविश्वास मिला।

यह आवश्यक है कि किसान संगठनों को विकास के मामलों, अधिक कार्यकुशल प्रबंधन के लिए दबाव डालना, बुनियादी ढांचा, ऋण, ज्ञान का बिखराव आदि पर अपनी राय देना चाहिए। "किसानों के आंदोलन को आर्थिक संघ, सहकारी संघ आदि कुछ अधिक सकारात्मक प्रकार के संगठन की ओर कदम बढ़ाने चाहिए। इस समय किसानों के आंदोलन अखबारों के मुख्य शीर्षक बनने के साथ-साथ लामबंदी और अधिकांश गरीब किसानों और भूमिहीन मजदूरों के संगठन और उनकी प्रभावीरूप से नये सामाजिक आंदोलनों के सहयोगी बनने की कुशलता का प्रदर्शन कर रहे हैं स्त्री कबायलियों व निम्न जातीय का आंदोलन।

देश के अधिकांश भागों में, किसान आंदोलन अब भी कमजोर और खंडित हैं, किसानों का बढ़ता हुआ विरोध और नए क्षेत्रों में आंदोलन का विस्तार होने से किसानों को आंदोलन के एक सकारात्मक उपलब्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। जमीनी संघर्ष और बेदखली के खिलाफ कबायलियों के संघर्ष ने कई राज्यों में कुछ हद तक राज्य सरकारों को पीछे धकेल दिया है।

राजस्थान में किसानों के जुझारू संघर्ष को प्रोत्साहित करने वाले उदाहरण के साथ हम निष्कर्ष में पहुंचते हैं। गंगानगर और बीकानेर जिलों में राजस्थान के किसानों ने राजस्थान नहर के द्वारा पर्याप्त जल आपूर्ति कराने के लिए एक लंबी अवधि तक रहने वाला और संगठित आंदोलन छेड़ा। भाजपा राज्य सरकार ने उचित मांगों के लिए किसानों के संघर्ष को दबाने की कोशिश की। इस दमन में छः लोग मारे गए और कई सौ लोग घायल हुए। किसानों की एकता और दृढ़ता ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह उनकी सभी मांगों को स्वीकार करे और उन सबको आजाद कर दें जिन्हें गिरफ्तार किया गया था।

संघर्षों के ऐसे उदाहरण किसानों का आत्मविश्वास अवश्य बढ़ायेंगे। फिर भी हालात आसान नहीं है, किसान आंदोलन की भावी पीढ़ी के लिए यह अवश्य अवसरों से भरपूर है।